संख्या-708/सैंतीस-2-2004-33(5)/04

प्रेषक,

जूथिका पाटणकर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 06 मई , 2004

विषय:- पशुपालन विभाग के अन्तर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन, उपकरणों आदि के क्रय हेतु नीति निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में पशुधन अनुभाग-2 द्वारा जारी समस्त शासनादेशों को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुपालन विभाग में पशुचिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों आदि पर उपयोग में लायी जाने वाली औषधियों/वैक्सीन/सर्जिकल उपकरण तरल नत्रजन पात्रों, कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों अतिहिमीकृत वीर्य आदि का क्रय प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण/सरलीकरण विषयक औद्योगिक विकास अनुभाग-7 के शासनादेश सं0-2177एल/18-सात-94-15(एस0पी0)-92 दिनांक-17 अक्टूबर, 1994 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत पशुपालन विभाग द्वारा सीधे क्रय किया जायेगा ।इस प्रकार की क्रय व्यवस्था में पशुपालन विभाग का दायित्व होगा कि वे शासकीय क्रय नीति, सामग्री क्रय नियम तथा इस संबंध में समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करें ।

2- प्रश्नगत व्यवस्था के अन्तर्गत क्रय हेतु पशुपालन विभाग में क्रय समिति का गठन निम्नवत किया जाय:-

1-	निदेशक पशुपालन विभाग उ0 प्र0 लखनऊ	अध्यक्ष
2-	उद्योग निदेशक अथवा उद्योग विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
3-	वित्त नियंत्रक पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
4-	निदेशक पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नामित एक विशेषज्ञ	सदस्य

औषधियों के क्रय हेतु उक्त क्रय समिति में उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रक या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि को विशेष आमन्त्री के रूप में रखा जाय।

यह समिति औषधियों/वैक्सीन एवं उपकरणों आदि की निविदा आमंत्रित कर दर अनुबन्ध करेगी।

3- क्रय की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन/सर्जिकल उपकरणों आदि के चुनाव करने के लिए मुख्यालय पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा:-

विशेषज्ञ समिति

1- निदेशक पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ	अध्यक्ष
2- अपर निदेशक (बी0पी0 संस्थान) पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
3- अपर निदेशक (गो0वि0) पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
4- संयुक्त निदेशक (कुक्कुट) पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
5- संयुक्त निदेशक (रोग नियंत्रण) पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
6- उप निदेशक प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
7- प्रोफेसर आफ मेडिसिन या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा	सदस्य
8- प्रोफेसर आफ सर्जरी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा	सदस्य

यह समिति औषधियों/वैक्सीन एवं उपकरणों आदि की विशिष्टियों/मानकों को ध्यान में रखते हुए उनका चयन एवं मात्रा निर्धारण करेगी।

जिला एवं प्रक्षेत्र स्तर पर क्रय समिति

1- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	अध्यक्ष
2- मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा नामित एक विशेषज्ञ	सदस्य
4- प्रक्षेत्र प्रबन्धक (जिन जनपदों में प्रक्षेत्र स्थित हो)	सदस्य
5- मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय का लेखा संवर्ग का वरिष्ठतम कार्मिक	सदस्य

यह क्रय समिति विशेषज्ञ समिति द्वारा चुनी गई वस्तुओं एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा निर्धारित दरों पर बजट प्राविधान के अन्तर्गत ही क्रय करेगी। यदि किन्ही कारणोवश यदि दर अनुबन्ध उपलब्ध न हों तो विशेष परिस्थितियों में स्थानीय स्तर पर औषधियों उपकरणों आदि की आवश्यकता हो, तो उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा तथा उक्त जिला स्तरीय समिति इस प्रकार की सामग्री क्रय किये जाने पर अनुमोदन प्रदान करने के लिए अधिकृत होगी।

4-(क) जिला योजना में शत-प्रतिशत धनराशि का क्रय जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

(ख) आयोजनेत्तर पक्ष का बजट निदेशालय द्वारा जनपदों को दिये जाने के उपरान्त उपलब्ध बजट का शत प्रतिशत क्रय जनपद स्तरीय समितियों द्वारा किया जायेगा।

(ग) उक्त स्रोतों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से जनपदों को प्राप्त धनराशियों का क्रय उक्त जनपद स्तरीय समिति द्वारा ही किया जायेगा।

(घ) राज्य सेक्टर की शत प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष क्रय निदेशालय स्तर से किया जायेगा।

5- मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत उपर्युक्त क्रय व्यवस्था में क्रय सामग्री के अधिकारों को प्रतिनिहित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-344/18-5-2003-76(एस0पी0)/86 दिनांक-10 मार्च, 2003 जिसमें निम्न व्यवस्था है:-

> "सामान्य स्थिति वाले मामलों में मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष एक बार में रू0-1,00,000/-(रू0 एक लाख मात्र) मूल्य की सीमा तक सामग्री (विदेशी तथा स्वदेशी निर्मित दोनों प्रकार की वस्तुओं को) क्रय कर सकते हैं। इसी प्रकार विभागाध्यक्ष उपर्युक्त स्थिति में एक समय में रू0-10,00,000/-(रूपये दस लाख मात्र) मूल्य की सीमा तक की वस्तुओं का क्रय कर सकते है। रू0-1,00,000/- से अधिक और रू0-10,00,000/- की सीमा तक मूल्य की वस्तुओं के क्रय हेतु कार्यालयाध्यक्ष अपने विभागाध्यक्ष की अनुमति तथा रू0-10,00,000/- से अधिक मूल्य की वस्तुओं के क्रय हेतु विभागाध्यक्ष को शासन के प्रशासकीय विभाग की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इस प्रकार के क्रय की स्वीकृति आदेश जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत क्रय हेतु पर्याप्त धनराशि बजट में उपलब्ध है तथा क्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी की सहमति प्राप्त कर ली गई है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा और उसमें यह स्पष्ट अंकित किया जायेगा कि प्रश्नगत क्रय सामग्री क्रय नियमों के अनुसार है और संबंधित वस्तु उद्योग निदेशालय द्वारा निर्णीत किये गये दर अनुबन्ध अन्तर्गत नही आती है।"

क्रयादेश प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया जायेगा।

6- टेण्डर प्रकिया एवं क्रय में पारदर्शिता हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-1173/10-2001-10(55)/2000 दिनांक 27 अप्रैल, 2001 का अनुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- पशुपालन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि औषधियों/वैक्सीन एवं उपकरणों आदि के विभागीय दर अनुबंध की कार्यवाही प्रत्येक दशा में वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में पूर्ण हो जाय।

भवदीया,

(जूथिका पाटणकर)
सचिव ।

पृ0सं0-708(1)/सैतीस-2-2004 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार/लेखा एवं हकदारी(प्रथम)/लेखा अनुभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- अपर निदेशक, बी0पी0 संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ ।
3- अपर निदेशक (गो0वि0), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
4- संयुक्त निदेशक (रोग नियन्त्रण), पशुपालन निदेशालय, लखनऊ ।
5- उद्योग निदेशक, कानपुर ।
6- प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा ।
7- प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा ।
8- उ0प्र0 मुख्य ड्रग कन्ट्रोलर, उ0प्र0, लखनऊ ।
9- समस्त जिलाधिकारी ।
10- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 ।
11- उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
12- समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 ।
13- वित्त नियंत्रक पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ ।
14- औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।

आज्ञा से,

(अविनाश गौड़)
संयुक्त सचिव ।